अति–आवश्यक
बीमा परिपक्वता स्वत्व अभियान–2022

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,
बीमा भवन जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / एफ–50 / बीमा / मूल्यांकन / 2021–2022 / 432 - 478 दिनांकः– 18.01.2022

परिपत्र

राज्य बीमा की लगभग 25,000 पॉलिसियां दिनांक 01.04.2022 को भुगतान हेतु परिपक्व हो रही है। 01.04.2022 को परिपक्व हो रही बीमा पॉलिसियों के दावों के निस्तारण के संबंध में बीमा अनुभाग, मुख्यालय के द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। इसी क्रम में पुनः निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. दिनांक 01.04.2022 को परिपक्व दावों का शत–प्रतिशत निस्तारण पोर्टल के नवीन वर्जन 3.0 पर ऑनलाइन **"पेपरलैस व्यवस्था"** के अन्तर्गत किया जाना है।इसके अंतर्गत बीमेदार द्वारा दावा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किये जाने आवश्यक है ।
2. परिपक्व हो रहे दावों में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड यथा लेजर, रिकॉर्ड बुक, जीए– 55ए इत्यादी के आधार पर दिनांक **31.01.2022** तक प्रीमियम सत्यापन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।
3. बीमा पत्रावलियों की रिकार्ड एवं ई–बैग में जांच किये जाने के उपरान्त अप्राप्त पत्रावलियों का आवश्यक रिकार्ड सम्बन्धित जिले से दस्तावेज स्कैन एवं ई–बैग में अपलोड करवाकर प्राप्त किया जावे । अप्राप्त पत्रावलियो की सूची संभागीय अतिरिक्त निदेशक एवं बीमा अनुभाग,मुख्यालय को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करावें ताकि उनके स्तर से भी रिकॉर्ड अपलोड करवाये जाने के निर्देश सम्बन्धित जिलो को दिये जा सकें ।
4. परिपक्वता दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवश्यक विकल्प का चयन करने हेतु बीमेदारो को पत्र / ई–मेल / एस.एम.एस. / वाट्सअप ग्रुप / प्रेस विज्ञप्ति तथा जिला कलेक्टर से परिपत्र जारी करवाकर सूचित किया जावें । परिपक्व हो रहे दावों के शत–प्रतिशत ऑनलाइन दावा प्रपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावे।
5. समस्त जिला अधिकारी 01.04.2022 को परिपक्व हो रहे दावों में से जो दावे पूर्व में मृत्यु / अध्यर्पण / संशोधन / अन्य जिलों को स्थानान्तरण करने के कारण ऑफ दर्शाए गये है, की पूर्ण सूची बीमा अनुभाग, मुख्यालय को दिनांक **31.01.2022** तक भिजवायेगें । जिन जिलों को अन्य जिलों से प्रकरण स्थानान्तरित किये गये है वे जिला कार्यालय प्रीमियम का सत्यापन कर अपनी परिपक्वता सूची में दावो को ऑन दर्शाकर दावो का परिपक्वता तिथि को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
6. जिला अधिकारी परिपक्वता बीमा दावों में किसी भी प्रकार का अधिक / गलत / दोहरा भुगतान नहीं हो इसकी सुनिश्चितता करेगें। भविष्य में किसी भी दावें में अधिक / दोहरा भुगतान पाये जाने पर सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय की जावेगी ।

7. अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम एंव तकनीकी टीम परिपक्वता दावे ऑनलाइन सबमिट करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा विकल्प का चयन करने के संबंध में बीमेदार को कोई कठिनाई उत्पन्न नही हो,इसकी सुनिश्चितता करेंगे सिस्टम अनुभाग द्वारा दावों के निस्तारण, सही गणना, तथा भुगतान किये जाने की आवश्यक व्यवहारिक यूटिलिटी पोर्टल के नवीन वर्जन 3.0 पर उपलब्ध करवायी जावेगी एवं परिपक्वता स्वत्व निस्तारण में उत्पन्न तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाना भी सुनिश्चित किया जावेगा।
8. संभागीय अधिकारियो द्वारा परिपक्वता स्वत्व अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा जिला अधिकारियों की समस्याओ का तत्काल निराकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संभागीय अधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करवाकर शत–प्रतिशत दावों को ऑन लाइन प्राप्त करवाये जाने का भी प्रयास किया जावेगा ।
9. अतिरिक्त निदेशक, डिजिटाइजेशन द्वारा बीमा पत्रावली एंव आवश्यक दस्तावेज ई– बैग में अपलोड करने के संबंध में उपलब्ध यूटीलिटी का प्रोसेस– फ्लो सभी जिला अधिकारियों को जारी किया जायेगा। चूंकि बीमा पत्रावलियों का भौतिक रूप से आदान प्रदान (क्लियरिंग हाउस व्यवस्था) की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस कारण एक जिले से दूसरे जिले के वांछित आवश्यक रिकार्ड स्कैन कर ई–बैग में ही अपलोड किया जाकर अथवा ई–मेल के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा ।
10. संभागीय अतिरिक्त निदेशक द्वारा अभियान की सफलता, दावों के निस्तारण, जांच एवं मॉनिटरिंग के लिए आवश्यकता पडने पर अपने संभाग में किसी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिलें में कार्य व्यवस्थार्थ **31.03.2022** तक लगाया जा सकेगा। संभागीय अधिकारी द्वारा कार्य व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यालय को प्रस्ताव भिजवाकर पूर्वानुमति प्राप्त की जायेगी । कर्मचारी कार्य व्यवस्थार्थ अन्य जिले में लगाये जाने के कारण सम्बन्धित जिले का कार्य बाधित ना हो इसकी भी संभागीय अधिकारी के द्वारा सुनिश्चितता की जायेगी ।
11. परिपक्वता स्वत्व अभियान की प्रगति समीक्षा के आधार पर संबंधित जिला अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 में आवश्यक रूप से प्रविष्ठी की जावेगी।

निर्देशों की सख्त पालना सुनिश्चित की जावें ।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक

क्रमांक / एफ–50 / बीमा / मूल्यांकन / 2021–2022 / 479 दिनांकः– 18.01.2022

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (समस्त जिला कार्यालय)।
2. समस्त सम्भागीय अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि,राजस्थान ।
3. अतिरिक्त निदेशक सिस्टम,, डिजिटाइजेशन / बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि, राजस्थान ,जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली ।

(अमित जौहरी) 18/1/2022
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)